



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 21, 2013/फाल्गुन 2, 1934

No. 391]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013/PHALGUNA 2, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2013

का.आ. 422(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 80.00 कि.मी. 256.00 कि.मी. (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से शिवपुरी-भोगनीपुर), तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के खण्डों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु संख्या का.आ. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाये हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25 के 155.00 किमी से 220.00 किमी तक के खण्ड के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सड़क खण्ड की निबल लम्बाई 39.125 किमी के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” संदर्भित किया गया है) पर शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है; अर्थात्;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.उ.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियाँ :

6. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
187.50 किमी (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	39.215

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड. रुपये या अधिक की लागतवाले निम्नलिखित बाईपासों के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा के लिए ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास की लम्बाई हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास की लंबाई (कि.मी. में) और नाम जिसके लिए शुल्क संदेय है	
किमी 187.50 (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	2.850	मोठ
किमी 187.50 (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	4.810	पुंछ
किमी 187.50 (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	4.224	ऐत
किमी 187.50 (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	2.10	गिरथन
किमी 187.50 (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	11.801	उरई

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुरात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की

गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 506.41 करोड़ रुपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराप्र/13013/601/10-11/सीओ/जीसी-झांसी(155-220)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2013

120
S.O. 422(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 80.00 to km 256.00 (Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border to Shivpuri-Bhognipur) of National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 39.125 kilometer (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section from kilometer 155.00 to kilometer 220 on the National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	39.215

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypasses specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable	
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	2.850	Moth
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	4.810	Punchh
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	4.224	Ait
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	2.10	Girthan
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	11.801	Orai

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment

7824/13-2

Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment
--	-------	--------------------------------

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 506.41 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/13013/601/10-11/CO/GC-Jhansi (155-220)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.